न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 57/2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. रामाराम पुत्र वीराराम उम्र 40 वर्ष 2. अमराराम पुत्र बांकाराम उम्र 50 वर्ष 3. बीजाराम पुत्र बांकाराम उम्र 48 वर्ष 4. मिसराराम उर्फ मसराराम पुत्र गुलाराम उम्र 55 वर्ष 5. मोडाराम पुत्र बांकाराम उम्र 45 वर्ष 6. मोरों पत्नि वीराराम उम्र 70 वर्ष 7. विशनाराम पत्रु बांकाराम उम्र 43 वर्ष 8. सोमाराम पुत्र वीराराम उम्र 38 वर्ष 9. हेमी पत्नि बांकाराम उम्र 72 वर्ष जातियान भील निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. मांगाराम पुत्र जवानाराम उम्र 40 वर्ष 2. खूमाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 50 वर्ष 3. डाईदेवी पत्नि हुकमाराम उम्र 70 वर्ष 4. बाबुलाल पुत्र सरदाराराम उम्र 55 वर्ष 5. मेलाराम पुत्र सरदाराराम उम्र 52 वर्ष 6. रावताराम पुत्र सरदाराराम उम्र 50 वर्ष 7. विशनाराम पुत्र सरदाराराम उम्र 48 वर्ष 8. मिरगोदेवी पत्नि सरदाराराम उम्र 45 वर्ष जातियान भील निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 9. कमलादेवी पत्नि मदनसिंह उम्र 70 वर्ष 10. कानसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र 45 वर्ष बीपासून 11. राजेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र 42 वर्ष जातियान रावणा राजपूत निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 12. अमृतराम पुत्र चूनाराम उम्र 40 वर्ष 13. इन्द्रादेवी पली चूनाराम उम्र 60 वर्ष 14. उमाराम पुत्र चूनाराम उम्र 38 वर्ष 15. रेवताराम पुत्र चूनाराम उम्र 36 वर्ष 16. विरमाराम पुत्र भूपाराम उम्र 34 वर्ष 17. चेतनराम पुत्र लच्छाराम उम्र 42 वर्ष जातियान भील निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 18. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 26.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के मौजा सिणधरी चौसिरा में खसरा नम्बर 321/89 रकबा 3.3088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322/89 रकबा 0.1537 हैक्टेयर बीघा, खसरा नम्बर 323/89 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/89 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व ग्राम सिणधरी चारणान के खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 8.0415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 2.4836 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8639 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के मौजा सिणधरी चौसिरा में खसरा नम्बर 321/89 रकबा 3.3088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322/89 रकबा 0.1537 हैक्टेयर बीघा, खसरा नम्बर 323/89 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/89 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व ग्राम सिणधरी चारणान के खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 8.0415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 2.4836 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8639 हैक्टेयरकी पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

कील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए थन किया, कि प्रार्थी के खेत पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के मौजा सिणधरी चौसिरा में खसरा नम्बर 321/89 रकबा 3.3088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322/89 रकबा 0.1537 हैक्टेयर बीघा, खसरा नम्बर 323/89 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/89 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व ग्राम सिणधरी चारणान के खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 8.0415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 2.4836 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8639 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के मौजा सिणधरी चौसिरा में खसरा नम्बर 321/89 रकबा 3.3088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322/89 रकबा 0.1537 हैक्टेयर बीघा, खसरा नम्बर 323/89 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/89 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व ग्राम सिणधरी चारणान के खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 8.0415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 2.4836 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8639 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के मौजा सिणधरी चौसिरा में खसरा नम्बर 321/89 रकबा 3.3088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322/89 रकबा 0.1537 हैक्टेयर बीघा, खसरा नम्बर 323/89 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/89 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व ग्राम सिणधरी चारणान के खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 8.0415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 2.4836 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8639 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के मौजा सिणधरी चौसिरा में खसरा नम्बर 321/89 रकबा 3.3088

क्टेयर, खसरा नम्बर 322/89 रकबा 0.1537 हैक्टेयर बीघा, खसरा नम्बर 323/89 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/89 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व ग्राम सिणधरी चारणान के खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 8.0415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 2.4836 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 2.8639 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी